रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 11

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271] नई दिल्ली, वीरवार, जुलाई 5, 1990/आषाढ़ 14, 1912
No. 271] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1990/ASADHA 14, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1990

39/90-सीमाशुल्क (एन. टी.)

सा०का०नि० 619(अ) :— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) नियम, 1988 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) संशोधन नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल की कीमत का अवधारण) नियम, 1988 के नियम 9 के उपनियम (2) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

परन्तु —

(i) जहां खंड (क) में निर्दिष्ट परिवहन खर्च अभिनिश्चेय नहीं है, वहां ऐसा खर्च ऐसे माल के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का बीस प्रतिशत होगा ;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रभार माल के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का एक प्रतिशत + (धन) खंड (क) में निर्दिष्ट परिवहन खर्च + (धन) खंड (ग) में निर्दिष्ट बीमा खर्च होगा ;

(iii) जहां खंड (ग) में निर्दिष्ट खर्च अभिनिश्चेय नहीं है, वहां ऐसा खर्च ऐसे माल के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का 1.125 प्रतिशत होगा ;

परन्तु यह और कि वायु मार्ग द्वारा आयातित माल की दशा में, जहां खंड (क) में निर्दिष्ट खर्च अभिनिश्चेय है, वहां ऐसा खर्च ऐसे माल के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि जहां माल का पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य अभिनिश्चेय नहीं है, वहां खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसा खर्च ऐसे माल के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का बीस प्रतिशत + (धन) ऊपर खंड (1) की बाबत बीमा खर्च होगा और खंड (ग) में निर्दिष्ट खर्च माल के पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य का 1.125 प्रतिशत + (धन) ऊपर खंड (iii) की बाबत परिवहन खर्च होगा।

[(फा० सं० 467/17/89-सी० शु० 5 (आई० सी० डी०)]

राजकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

39/90-CUSTOMS (NT)

New Delhi, ithe 5th July, 1990.

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes following rules to amend the Customs Valuation (Determination of price of Imported Goods) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs Valuation (Determination of price of Imported Goods) Amendment Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 9 of the Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 1988, in sub-rule (2), for the provisos the following provisos shall be substituted, namely :—

"Provided that—

(i) where the cost of transport referred to in clause (a) is not ascertainable, such cost shall be twenty per cent of the free on board value of the goods;

(ii) the charges referred to in clause (b) shall be one percent of the free on board value of the goods plus the cost of transport referred to in clause (a) plus the cost of insurance referred to in clause (c);

(iii) where the cost referred to in clause (c) is not ascertainable, such cost shall be 1.125% of free on board value of the goods;

Provided further that in the case of goods imported by air, where the cost referred to in clause (a) is ascertainable, such cost shall not exceed twenty per cent of free on board value of the goods;

Provided also that where the free on board value of the goods is not ascertainable, the costs referred to in clause (a) shall be twenty percent of the free on board value of the goods plus cost of insurance for clause (i) above and the cost referred to in clause (c) shall be 1.125% of the free on board value of the goods plus cost of transport for clause (iii) above.

F. No. 467/17/89-CUS. VI(CD)]

RAJ KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.

3. उक्त नियम के नियम 8 के उपनियम (1) में—

(i) "815-25-840-35-1260-40-1460-50-1510"—अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—
"815-25-840-35-1260-40-1380-45-1470
50-1520 रुपए"

(ii) "785-25-810-1335-40-1455" अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—
"785-25-810-35-1265-40-1465 रुपए"।

4. उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) में "मूल वेतन" और प्रत्येक चार प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ते की दर" शीर्षकों और उनके नीचे प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"मूल वेतन	प्रत्येक चार प्वाइंटों के लिए महंगाई भत्ते की दर
(i) 2500 रुपए तक	मूल वेतन का 0.67 प्रतिशत।
(ii) 2501 रुपए और उससे अधिक	2500 रु. का 0.67 प्रतिशत तथा 2500 रुपए से अधिक मूल वेतन का 0.55 प्रतिशत।

5. उक्त नियमों के नियम 15 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1क) जहां 2740 रुपए या उससे अधिक प्रतिमाह का मूल वेतन पाने वाले सहायक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को उच्चतर श्रेणी में नियुक्त किया जाता है, वहां, इस नियम या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1960 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी का मूल वेतन उच्चतर वेतनमान में उस प्रक्रम से एक ऊपर के प्रक्रम पर नियत किया जाएगा जो उस मूल वेतन से ऊपर का अगला प्रक्रम है, जो उसने उस निम्नतर वेतनमान में जो 1 जनवरी, 1990 से ठीक पूर्व उसको लागू है, लिया होता।

6. उक्त नियमों के नियम 19क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"19क स्नातक भत्ता (1) अभिलेख लिपिक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को —

(क) जो अपनी नियुक्ति के समय स्नातक हो, जब ऐसी नियुक्ति 1 अप्रैल, 1989 के पश्चात् की गई हो, या

(ख) जो 1 अप्रैल, 1989 को तो उसके पश्चात् स्नातक हो जाता है या

(ग) जो 1 अप्रैल, 1989 से पूर्व स्नातक था किन्तु उसे स्नातक वेतनवृद्धियां नहीं दी गई थीं

130 रुपए प्रतिमास की रकम का,—

(i) खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले किसी कर्मचारी की दशा में, उसके नियुक्ति की तारीख से ही

(ii) खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी कर्मचारी की, दशा में, उस मास के अगले मास की पहली तारीख से ही जिसमें परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए, ।

(iii) खण्ड (ग) के अन्तर्गत आने वाले किसी कर्मचारी की दशा में, 1 अप्रैल 1989 से ही संदाय किया जाएगा।

(2) सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में ऐसे किसी कर्मचारी को, जिसे स्नातक होने के कारण 1 अप्रैल, 1989 से ठीक पूर्व से ही वेतनवृद्धियां मिल रही हों, और जिसने नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर लिया हो अथवा नियम 7 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रथम वेतनवृद्धि प्राप्त कर ली हो, स्नातक भत्ता संदत्त किया जाएगा, —

(i)(क) जहां कर्मचारी ने 1 अगस्त, 1988 को या उससे पूर्व नियम 4 उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर लिया हो, वहां 1 अगस्त 1989 से ही और — 65 रुपए प्रतिमास

(ख) जहां कर्मचारी ने 1 अगस्त, 1988 के पश्चात किसी तारीख को नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर लिया हो वहां उस तारीख से 1 वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात् अगले मास के प्रथम दिन से ही।

(ii)(क) जहां कर्मचारी ने नियम 7 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रथम वेतनवृद्धि की तारीख से सेवा का एक वर्ष से अधिक 1 अगस्त, 1989 को या या उससे पूर्व पूरा कर लिया है, वहां 1 अगस्त, 1990 से ही। — 130 रुपए प्रतिमास

(ख) जहां किसी कर्मचारी ने 1 अगस्त, 1989 के पश्चात किसी तारीख को नियम 7 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रथम वेतनवृद्धि से प्रारम्भ होने वाला सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, वहां उस तारीख से एक वर्ष पूरा होने के पश्चात अगले मास के प्रथम दिन से ही।

स्पष्टीकरण :— शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात का किसी कर्मचारी द्वारा 1 जुलाई, 1990 के पूर्व लिए गए किसी स्नातक भत्ते को वापस कर देने का प्रभाव नहीं होगा।

(3) सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में ऐसे किसी कर्मचारी को जो उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट वेतनमान का अधिकतम प्राप्त कर लेता है और जो 1 जुलाई, 1990 को या उसके पश्चात् स्नातक होता है, उस मास के, जिसमें परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए, अगले मास की पहली तारीख से 130 रुपए प्रतिमास की दर पर स्नातक भत्ता दिया जाएगा ।

(4) स्नातक भत्ता मूल वेतन का भाग नहीं माना जाएगा :

परन्तु सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में किसी कर्मचारी के उक्त स्नातक भत्ते के 60 प्रतिशत भविष्य निधि, उपदान, मकान किराया, भत्ता और प्रोन्नति पर वेतन के पुनः नियतन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा। ।

7. उक्त नियमों के नियम 19ख को नियम 19ग के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा, और नियम 19ग को इस प्रकार पुनर्संख्यांकित किए जाने के पूर्व निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"19ख स्नातक वेतनवृद्धियां :

(1) सहायक या आशुलिपिक के वेतनमान में किसी कर्मचारी को: —

(क) जो अपनी नियुक्ति के समय स्नातक हो, जो अपनी नियुक्ति 1 जुलाई, 1990 के पश्चात् की गई हो या,